प्रेस नोट

दिनांक 15.07.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का ऑटो बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–315/2025 धारा 303(2), 317(2) से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01.रिंकू कुशवाहा पुत्र ओमप्रकाश, निवासी खिरीहाहीर, थाना शेरामऊ, जनपद शाहजहांपुर, 02. धर्मेन्द्र पुत्र सहबू प्रसाद, निवासी मद्दो भट्ठा, थाना सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का ऑटो बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी इरफान पुत्र मुनव्वर, निवासी मोहल्ला आजाद नगर, मनकापुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसने ऑटो (विक्रम) यू0पी0 43 ए0टी0 0021 राजेन्द्र प्रसाद दूबे की पत्नी आशा दूबे से खरीदा था। दिनांक 13.07.2025 को रात 08 बजे ऑटो को कटी तिराहा ट्रांसफार्मर के पास खड़ा किया था, जो 14.07.2025 सुबह 06 बजे गायब मिला। तलाश करने पर ऑटो मछली बाजार शराब ठेके के पास मिला, जिसमें आटो चोर रिंकू कुशवाहा (जनपद शाहजहांपुर) व धर्मेन्द्र (जनपद बलरामपुर) बैठे मिले। वादी की तहरीर पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर चोरी करने के दोनो आरोपी अभियुक्तों– रिंकू कुशवाहा, 02. धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा ऑटो चोरी करने की बात स्वीकार की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रिंकू कुशवाहा पुत्र ओमप्रकाश, निवासी खिरीहाहीर, थाना शेरामऊ, जनपद शाहजहांपुर।
02. धर्मेन्द्र पुत्र सहबू प्रसाद, निवासी मद्दो भट्ठा, थाना सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–315/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. चोरी का ऑटो

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 बालमुकुन्द चौहान।

मीडिया सेल, गोण्डा।